



अंचल अधिकारी का कार्यालय , PANDWA , PALAMU (झारखंड)

झारखंड सरकार के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले जाति प्रमाणपत्र

सन्दर्भ संख्या : JHCBC/2023/403220

जारी करने की तिथि : 11/10/2023

प्रमाणित किया जाता है कि CHANDAN KUMAR TAGORE पिता : SHIV KUMAR THAKUR CHHECHHAURI , ग्राम/नगर : CHHECHHAURI, थाना : PANDWA जिला/प्रमंडल: PALAMU, राज्य/संघशासित प्रदेश : JHARKHAND, NAI-HAJAM जाति के सदस्य हैं जो झारखंड राज्य में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I) के रूप में झारखंड रिक्रियों एवं पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन मान्यताप्राप्त है तथा ये Hinduism (धर्म) को माननेवाले हैं।

2. CHANDAN KUMAR TAGORE तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के CHHECHHAURI , ग्राम/नगर : CHHECHHAURI , थाना : PANDWA , जिला/प्रमंडल: PALAMU में निवास करते हैं।
3. झारखंड राज्य के अंतर्गत नियुक्तियों में अथवा उच्च शिक्षा के निमित्त तकनीकी/गैर-तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फॉर्म संख्या - 11) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. यह प्रमाणपत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की सूची में एतद्सम्बन्धी परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी:

क. यहाँ प्रयुक्त पद साधारणतया निवासी का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सबम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपयुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्त/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पंचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखंड में रिक्रियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001।

घ. झारखंड में रिक्रियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 संकल्प सं. 3885, दिनांक 05.11.2011; 801, दिनांक 11.02.2003; 3436, दिनांक 28.06.2004; 6337, दिनांक 08.12.2004; 6374, दिनांक 11.12.2004; 368, दिनांक 19.01.2006; 2759, दिनांक 01.06.2006; 3706, दिनांक 15.07.2006; 4447, दिनांक 24.08.2007; 5182, दिनांक 26.09.2006; 1604, दिनांक 28.03.2007; 243, दिनांक 11.01.2008; 5108, दिनांक 23.09.2008; 4450, दिनांक 01.08.2011; 5826, दिनांक 19.09.2011; 6987, दिनांक 26.09.2011; 6580, दिनांक 20.10.2011; 8060, दिनांक 17.12.2011; 144, दिनांक 06.01.2012; 2855, दिनांक 27.03.2012 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित।

अंचल अधिकारी , PANDWA का डिजिटल हस्ताक्षर

Digitally signed by HALDHR KUMAR SETHI
Date:2023.10.11 03:59:37 +05:30

स्थान:PANDWA

तिथि :11/10/2023